गोरू राम मुला मु.नं. 271/11

| दिनांक | आज्ञा पत्र |
| --- | --- |
| 11.12.24 | पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष हाजिर। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31.12.24 को पेश हो। |
| 31.12.24 | पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी के दौरे पर रहने से पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 3.1.25 को पेश हो। |
| 3.1.25 | पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। |

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 271/2011

1 गोरूराम पुत्र कालूराम उर्फ नारायणजाति यादव निवासीगण राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मूला पुत्र बालुराम जाति यादव निवासीगण राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 श्योपाल पुत्र गोविन्दा मृत
2/1 प्रेम देवी पत्नी श्योपाल
2/2 पप्पू यादव पुत्र श्योपाल
2/3 जितेन्द्र पुत्र श्योपाल
2/4 किरण पुत्री श्योपाल
3 फूलचन्द पुत्र गोविन्दा
4 रतन पुत्र गोविन्दा
5 मु. चावली बेवा गोविन्दा
समस्त जाति यादव निवासीगण राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6 रामदेव मृत पुत्र बालुराम
6/1 खेताराम पुत्र रामदेव जाति अहीर निवासी रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 सुरजाराम पुत्र कालूराम उर्फ नारायण जाति यादव निवासीगण राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
8 बृजमोहन मृत
8/1 श्रीचन्द पुत्र
8/2 जयकुमार पुत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8/3 औमप्रकाश पुत्र
8/4 कंचन पुत्री
8/5 सुलोचना पुत्री
8/6 संतोष पुत्री
8/7 मैना पुत्री बृजमोहन
8/8 मोहनी बेवा बृजमोहन
समस्त जाति जैन निवासीगण राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
9 तहसीलदार दांतारामगढ़।
10 नरसी पुत्र चन्द्रा
11 काना पुत्र चन्द्रा
12 जगमाल मृत
12/1 भागोती पत्नी जगमाल
12/2 सुनिल पुत्र जगमाल
12/3 जितेन्द्र पुत्र जगमाल
13 मनोहरी पुत्री चन्द्राराम
14 विमला पुत्री चन्द्राराम
15 भगवानी पत्नी चन्दाराम मृत
समस्त जाति यादव निवासीगण राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट विरूद्ध
निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2011 न्यायालय
सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर उनवानी मुलाराम
बनाम श्योपाल आदि मु.नं. 101/2006

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवदयाल यादव, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री नेमीचन्द पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

## –निर्णय–

दिनांकः– 3.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 101/2006 में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 848, 849, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 850/1561 वाके ग्राम रानोली दांतारामगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि पत्रावली में दिनांक 09.09.2011 का बहस दरख्वास्त आदेश 06 नियम 17 सीपीसी सुनी गई थी, लेकिन विचारण न्यायालय ने मनमाने रूप से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 06 नियम 17 सीपीसी का निर्णय पारित किये बिना ही मूलवाद जो कि बाबत स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया था कि विषय वस्तु से बाहर जाकर कल्पना व कयास के आधार पर दावे को बंटवारे का प्रकरण मानकर निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने के आदेश पारित कर दिये गये जो किसी भी दृष्टि से उचित एवं कानून सम्मत एवं न्याय संगत नहीं है। दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 5 का देहान्त हो गया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

था, जिसके कायम मुकाम को समयावधि में रिकार्ड पर लाने के लिए आवेदन समय पर पेश नहीं किए जाने पर अपीलान्ट द्वारा एक आवेदन पत्र बाबत दावा अबैट हो जाने दिनांक 31.10.2006 को पेश किया गया था, जिसका निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2008 को इस प्रकार से किया कि वादी का दावा केवल स्थाई निषेधाज्ञा है और प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के विरूद्ध ही पेश है इसलिये सम्पूर्ण दावा अबैट न होकर दावा केवल प्रतिवादी संख्या 5 के वारिसान पत्रावली में रिकार्ड पर नहीं थे, कानूनन यदि पक्षकारों के मध्य बंटवारा किया जाता है तो प्रत्येक खातेदार को जो कि आवश्यक पक्षकार है, के बाबत विचारण न्यायालय ने इस कानूनी स्थिति की ओर कोई गौर तक नहीं किया है। नियमानुसार अपीलाधीन वाद में विचारण न्यायालय को पत्रावली में आवेदन अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र निस्तारित किये जाने के बाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की स्थिति में संसोधित वाद पत्र पेश किया जाता उसके बाद संसोधित वाद का जवाब प्रस्तुत होना चाहिए था, संसोधित वाद व जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात शहादत पक्षकारान व उसके पश्चात कोई गुणावगुण के पश्चात निर्णय पारित पारित होना था, इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में आवश्यक रूप से की जाने वाली किसी भी कार्यवाही को नहीं अपनाया गया और आनन फानन में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी, जो किसी भी दृष्टि से स्थिर रहने योग्य नहीं है। वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रेस्पोडेन्ट संख्या 10 से मिलकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की कियान्विति की आड़ में गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर उसके आधार पर अंतिम डिक्री पारित करने की कुचेष्टा में लगा हुआ है, यदि वह अपनी कुचेष्टाओं में सफल हो गया तो अपीलांट के वैध अधिकारों पर भारी कुठाराघात उत्पन्न होकर अपूरणीय क्षति होगी, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.09.2011 की कियान्विति स्थगित की जाकर वादग्रस्त भूमियों खसरा नम्बर 848, 849, 851 से 868 एवं 850/1561 कुलकिता 20 ग्राम रानोली के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बनाये रखने का आदेश दिया जाना निहायत ही जरूरी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में वर्ष 1997 में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर दिये जाने उपरांत विचाराधीन निर्णय से विभाजन की बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विचाराधीन निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.07.2011 के अनुसार दिनांक 26.07.2011 को पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी की बहस हेतु नियत की गई थी। विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया अनुसार इस आवेदन पर निर्णय किये बिना सीधे ही विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया की पालना कर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2025 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 3.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर